Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

उत्तर प्रदेश में कृषि–उपज के विपणन में मण्डी–समितियों की भूमिका

डॉ0 दिनेश चन्द्र
पीएच0डी0– अर्थशास्त्र
अम्बेडकर नगर, पोस्ट– लॉकड़ी फाजलपुर,
मुरादाबाद–244001

भारत आज के विकसित देशों से पुराना देश है। इसकी कृषि कई शताब्दी पहले ही सापेक्षिक दृष्टि से परिपक्वता की स्थिति में पहुँच चुकी थी और उस समय देश में कृषि तथा उद्योग में सन्तुलन था, जिससे कृषक वर्ग की दशा उतनी खराब नहीं थी, जितनी आज है। यह स्थिति अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक बनी रही। भारत में अंग्रेजों की घुसपैठ और उनके द्वारा अपने यहाँ निर्मित माल की बिक्री से भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गई। यही वह समय था, जब भारतीय उद्योग एवं कृषि में निरन्तर ह्रास हुआ। ब्रिटिश शासकों की औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप इस देश में कृषि का कोई भी विकास नहीं हुआ। इन शासकों ने जमींदारों का एक नया वर्ग खड़ा कर दिया, जिसका मुख्य काम ही किसानों का शोषण करना था। यह वर्ग मध्यस्थों व परजीवियों का वर्ग था। जमींदार कुल कृषि–उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान के रूप में काश्तकारों व किसानों से छीन लेते थे, जिससे वास्तविक काश्तकार के पास केवल जीवन–निर्वाह योग्य साधन ही बच पाते थे।

उपरोक्त व्याख्या से तात्पर्य यह है कि कृषकों एवं काश्तकारों की स्थिति बदतर होती चली गयी, वहीं साधनों के अभाव में, कृषि में निवेश भी नहीं बढ़ पाया। इस प्रकार स्वतन्त्रता से पूर्व कृषि व्यवसाय 'जीवन निर्वाह' का साधन मात्र बनकर रह गया। खराब विपणन व्यवस्था, जमीदारों की मनमानी, विभिन्न प्रकार के ऋणों के भुगतान की आड़ में किसानों की जमीनें भी हड़प ली जाती थीं। यह स्थिति काफी समय तक बनी रही। वस्तुतः कृषकों के पास विपणन हेतु उत्पादन भी नहीं हो पाता था। सन् 1966 के बाद हरित् क्रान्ति के आगमन से स्थिति में कुछ बदलाव आया और कुछ किसानों ने कृषि को व्यावसायिक आधार पर अपनाया, जिससे इनकी स्थिति में क्रमिक सुधार सम्भव हो सका।[1]

भारत में कृषि एक जीवन शैली है। भारत में औद्योगिक विकास की दृष्टि से कृषि का बहुत महत्व है। भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों को चलाने के लिये कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन की जिम्मेदारी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार भी होता है। अभी भारतीय किसानों और खेतिहर मजदूरों की आय का स्तर काफी नीचा है, इसलिये इस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं के लिये बाजार सीमित है। कृषि विकास से भारतीय उद्योगों के लिये

ग्रामीण क्षेत्र में बाजार विस्तृत होना स्वाभाविक है।

अधिकतर भारतीय किसान आज भी खेती की पुरानी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। परम्परागत खेती मानव व पशु श्रम, वर्षा तथा गोबर की खाद पर निर्भर करती है। इस प्रकार की उत्पादन तकनीकों में किसानों को प्राप्त होने वाला प्रतिफल बहुत सीमित है और खेती केवल जीवन–निर्वाह के लिये साधन उपलब्ध करा पाती है। सन् 1966 में नई कृषि–युक्ति को अपनाने के बाद से देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में उत्पादन की नई तकनीकों का बड़े पैमाने प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार इन राज्यों में कृषि उत्पादिता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परन्तु भारत के विभिन्न भागों में आज भी कृषि की पुरानी तकनीकों का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसलिये देश में एक तरह की तकनीकी द्वयात्मकता पैदा हो गई है।

कृषकों के आर्थिक विकास में कृषि विपणन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये कृषि उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में कृषि की नई युक्ति को अपनाया गया। अब कृषि–नीति का ध्यान कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रति अधिक है। इसीलिये सिंचाई संसाधनों में निरन्तर वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। कृषकों को सस्ती कीमतों पर साख व अन्य कृषि आगत उपलबध कराना, फसलों के लिये लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराना, कृषि विपणन सुविधाओं का विकास करना, जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाने लगा है।

अब कृषि–नीति का पूरा ध्यान खाद्यान्नों के विपणन अतिरेक को बढ़ाने पर केन्द्रित हो गया है। साथ ही साथ, एक व्यापक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था स्थापित की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जा सकें।[2]

भारत में खेती काफी समय तक पिछड़ी अवस्था में रही है और जीवन–निर्वाह का एक साधन मात्र ही थी। कृषक खाद्य सम्बन्धी अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का थोड़ा भाग बेचता था। विपणन व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण उसे अपनी विपणन योग्य अतिरेक का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता था। शहरों के विकास और वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि से खाद्यान्नों के विपणन का भी महत्व अधिक हो गया है। योजना काल में भूमि सम्बन्धों में परिवर्तनों के द्वारा तथा हरित क्रान्ति के कारण गांवों में किसानों का एक अमीर वर्ग उत्पन्न हुआ है। यह वर्ग वाणिज्यिक ढंग से खेती करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफे के लिये खेती करना है। इसलिये कृषि क्षेत्र में 'वाणिज्यीकरण' के साथ–साथ विपणन व्यवस्था में सुधार होना स्वाभाविक है। कृषि विपणन को समझने से पहले बाजार प्रणाली को समझना आवश्यक है।

बाजार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कार्य है, किसी उत्पाद को इसके उत्पादकों से, इसके उपभोक्ताओं को हस्तान्तरित करना। इसमें उत्पादकों को उत्पादकों से इकट्ठा करना, इनका देश के विभिन्न भागों में वितरण करना, इनके भण्डार बनाने, इनका मानवीकरण तथा श्रेणीकरण करना, आदि जैसी प्रक्रियायें सम्मिलित हैं।[3]

कृषि बाजार प्रणाली की कार्यकुशलता का मानदण्ड, इसकी उपरोक्त क्रियाओं के आधार पर बनाया गया है। इस मानदण्ड को कृषि बाजार प्रणाली की परिचालन दक्षता का मानदण्ड कहा जाता है। मण्डियों में इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में जितना कम खर्च आयेगा, बाजार प्रणाली उतनी ही कार्यकुशल मानी जायेगी। वास्तविक स्तर पर, इस लागत को मार्केटिंग मार्जिन्स के बराबर माना जाता है। मार्केटिंग मार्जिन्स उस अन्तर को कहा जाता है, जो किसी उत्पाद के लिये उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये मूल्य, तथा अन्त में इसके उत्पादकों द्वारा प्राप्त की गई राशि के बीच में होता है। बाजार प्रणाली का एक प्रमुख कार्य कृषि–उत्पादों का भिन्न–भिन्न स्थानों पर एवं भिन्न–भिन्न समय पर

इनकी माँग के अनुसार वितरण भी है।

बाजार प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि जिस स्थान पर किसी उत्पाद का मूल्य दूसरे स्थानों की तुलना में अधिक है, तो उस उत्पाद को अन्य स्थानों से स्थानान्तरित करके वहाँ पहुँचाया जाये तथा यदि बाजार प्रणाली पूर्णतया कुशल है, तो स्थानान्तरित किये गये उत्पाद की मात्रा ऐसी होगी कि सब स्थानों पर उत्पाद के मूल्य एक समान हो जायेंगे तथा इसमें कोई अन्तर है तो यह कभी भी इस उत्पाद से अधिक मूल्य वाले स्थान पर पहुँचाने की लागत से अधिक नहीं होगा।

इसी प्रकार, क्योंकि एक कृषि उत्पाद की माँग, हर समय रहती है, इसलिये बाजार प्रणाली को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यह उत्पाद हर समय उपभोक्ताओं को उसी मूल्य पर मिलता रहे। इसके लिये एक कुशल बाजार प्रणाली, उत्पाद को आने वाले समय के लिये संचित करने का प्रबन्ध करती है, तथा हर समय के लिये माँग तथा पूर्त्ति में ठीक प्रकार का संतुलन लाती है।[4]

विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव एवं सरकार द्वारा किये गये प्रयास :

प्रदेश में कृषि–उपज की वर्तमान विपणन पद्धति के दोषों को दूर करने का मुख्य उपाय तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारों द्वारा किये प्रयासों का विवरण इस प्रकार हैं –

1– कृषकों को विपणन के दोषों से बचाने हेतु सबसे प्राथमिक सुझाव नियमित मण्डियों की स्थापना है, जहाँ किसान अपनी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेच सकें। नियमित मण्डी से तात्पर्य उस मण्डी स्थल से है, जिस पर राज्य सरकार या स्वायत्तशासी सरकार का नियन्त्रण होता है और जिसकी कार्य–विधि किसी विशिष्ट विधान से निर्मित होती है।[5] मण्डियां राज्य सरकारों के विशिष्ट विधानों के अन्तर्गत स्थापित की गयी हैं और उन्हीं विधानों से कार्य करती हैं। कभी–कभी इन मण्डियों की स्थापना स्वायत्त सरकार, यथा– नगरपालिका अथवा जिला परिषद द्वारा की जाती है। इस प्रकार की मण्डियों की एक प्रबन्ध समिति होती है, जिसमें किसानों, व्यापारियों, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ–साथ नगरपालिका आदि के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार मण्डियों में दलाली, आढ़त, तुलाई आदि व्यवस्था निश्चित होती है। मण्डियों में किसानों को ठहरने के लिये और उनकी उपज को रखने की भी व्यवस्था होती है।

2– विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि की व्यापारिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिये कृषि–उपजों और श्रेणीकरण अन्तदेर्शीय व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने सन् 1946 में कृषि उपज अधि ानियम पारित किया, जिसके अन्तर्गत कृषि पदार्थों का श्रेणीकरण करने के बाद उन पर विपणन अधि ाकारियों के निरीक्षण में 'एगमार्क' का लेवल लगा दिया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करने से पूर्व व्यापारियों द्वारा कृषि विपणन सलाहकार से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। बाद में इस अधिनियम के क्षेत्र में घी, अण्डा, तिलहन, गुड़, कपास, तम्बाकू, लाख, चमड़ा, ऊन, कहवा आदि वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है और तब से इन वस्तुओं का श्रेणीकरण किया जाने लगा है।[6]

3– उत्तर प्रदेश के गाँवों और मण्डियों में मध्यस्थों के अभाव के कारण किसान को अपनी फसल तैयार होते ही बेचनी पड़ती है और इस समय कृषि–पदार्थों की माँग की अपेक्षा पूर्ति कई गुना अधिक होने के कारण कृषक को अपनी फसल का बहुत नीचा मूल्य मिल पाता है। यदि गाँव और मण्डियों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षित गोदाम की व्यवस्था कर दी जाय तो कृषक अपनी उपज को कुछ समय के लिये गोदामों में रखकर मूल्यों के ऊपर उठने की प्रतीक्षा कर सकता है। अखिल भारतीय ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1 अगस्त 1956 को कृषि उपज (विकास और भण्डार व्यवस्था) अधिनियम, पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय भण्डार निगम

तथा राज्य भण्डार निगम बनाये गये। 1995–96 के अन्त तक केन्द्रीय भण्डार निगम के पास 89 लाख टन, और राज्य भण्डार निगम के पास 90 लाख टन माल रखने की क्षमता थी, जो कि 2007 तक बढ़कर लगभग 150 से 175 लाख टन के आसपास है। भारतीय खाद्य निगम के पास 250 लाख टन, और सहकारी समितियों एवं प्रभावी संस्थाओं के पास भी भण्डार की पर्याप्त क्षमता है। परन्तु इसके बाद भी देश की भण्डारण की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है।

4– अनियमित मण्डियों की कपटपूर्ण पद्धतियों में सुधार को रोकने के लिये माप विधि और बाटों में सुधार किया जाना भी अपेक्षित है। 1 अक्टूबर सन् 1953 से इस प्रणाली को समस्त देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है।

5– स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यातायात की सुविधाओं का विकास अवश्य हुआ है, परन्तु प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए यह कम है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार करने से कृषि उपजों का विपणन करने में सुविधा रहेगी। कृषक अपनी कृषि उपज को उन क्षेत्रों एवं मण्डी–स्थलों पर ले जाकर बेच सकेंगे, जहाँ पर उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

6– उत्तर प्रदेश के कृषक को कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्तनों की सूचना की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये, ताकि वे ग्रामीण साहूकार और व्यापारी के हाथों अपनी फसल को ठीक मूल्य पर बेच सकें। दूसरी योजना के अन्तर्गत कृषकों को बाजार सम्बन्धी परिवर्तनों से सूचित कराने के लिये 'अखिल भारतीय बाजार सेवा' का आयोजन किया जाये, जिससे बाजार सम्बन्धी परिवर्तनों की जानकारी हो सके।

7– उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त कृषि उपज की प्रचलित विपणन पद्धति के दोषों को दूर करने के लिये मण्डियों को नियन्त्रित करना तथा सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना –ये दो मुख्य रीतियाँ हैं। सहकारी विपणन समितियों की स्थापना से कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। उत्पादक और अन्तिम उपभोक्ता के बीच की मध्यवर्ती श्रृंखला भी टूट जायेगी तथा कृषकों को मण्डियों की कपटपूर्ण पद्धतियों से भी छुटकारा मिल जायेगा।

इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, 29 राज्य सहकारी विपणन संघ, 380 जिला या क्षेत्रीय समितियाँ और 5923 प्राथमिक समितियाँ हैं। इन सभी ने विगत वर्षों में लगभग 8200 करोड़ रूपये के कृषि पदार्थों का क्रय–विक्रय किया है। सन् 1997–98 में यह राशि लगभग 7300 करोड़ रूपये थी। किन्तु देश में हुए कुल क्रय से यह मात्रा बहुत कम थी।

8– उत्तर प्रदेश में विपणन में सुधार हेतु विपणन अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि कमियों का पता लगाया जाये और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाये।

भारत में केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत एक निदेशालय विपणन एवं जाँच निदेशालय की व्यवस्था की गयी, जो कृषि विपणन, बागबानी एवं पशुपालन से सम्बन्धित बातों के हेतु सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करता है और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के नियम बनाये जाते हैं।[7]

9– काफी समय से भारत सरकार ने मूल्य–समर्थन की नीति अपना रखी है, जिसके अन्तर्गत सरकार फसल उगने से पहले ही फसल को क्रय करने हेतु समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है। इन्हीं घोषित मूल्यों के आधार पर ही राज्य सरकारें भी विभिन्न कृषि वस्तुओं के मूल्यों की घोषणा करती हैं। इससे लाभ यह है कि यदि फसल तैयार होने पर बाजार में मूल्य कम हो जाता है तो सरकार उसे पूर्व निर्धारित मूल्य पर ही क्रय करती है, जिससे किसानों को प्रेरणा मिलती है।

सहकारी कृषि विपणन कृषकों के लिये

एक विशेष लाभकारी प्रक्रिया है। इससे प्राप्त लाभों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है–

1– सहकारी विपणन–पद्धति के अन्तर्गत कृषक और उसकी फसल के अन्तिम क्रेता अर्थात् उपभोक्ता के बीच की मध्यवर्त्तियों की लम्बी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। सहकारी उपभोक्ता भण्डार सहकारी विपणन समितियों से प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का क्रय करते हैं। इस प्रकार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो जाने से एक ओर उत्पादकों को भी अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक उत्तम किस्म का माल सस्ते मूल्य पर मिल जाता है।

2– सहकारी विपणन समिति के रूप में संगठित होकर कृषकों की सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है। सहकारी विपणन समिति एकाधिकार थोक व्यापारियों से समानता के स्तर पर सौदा करके सदस्य कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने में समर्थ होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से कृषकों की सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है।

3– सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्य कृषकों के विपणन योग्य अधिक्य को एकत्रित करके उसका उचित श्रेणीकरण व प्रमापीकरण करती हैं। इस प्रकार कृषकों के माल की विपणीयता में वृद्धि करती हैं तथा उपभोक्ताओं को भी अच्छी किस्म का माल मिल जाता है।

4– सहकारी विपणन समितियों की स्थापना से कृषकों के शोषणकर्त्ता मध्यवर्तियों का अन्त हो जाता है, क्योंकि ये समितियाँ सदस्य कृषकों की उपज का विपणन योग्य अधिक्य खरीदकर प्रत्यक्षतः थोक बाजारों में या सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को बेच देती हैं। वस्तुतः जब हमारे देश में वर्तमान विपणन पद्धति पूरे क्षेत्र के विपणन पर अपना आधिक्य कर लेगी, तो उस समय कृषकों को अधिक मेहनत से उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी तथा उनकी निर्धनता और ऋणग्रस्तता की समस्या किसी हद तक स्वयं सुलझ जायेगी।

5– व्यक्तिगत उत्पादन की तुलना में सहकारी विपणन समितियाँ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और रूचियों का अध्ययन करने में अधिक दक्ष होती हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अति व्यापक होता है। इस प्रकार विपणन समितियाँ बाजार में माँग का अध्ययन करके सदस्य कृषकों को उन्हीं पदार्थों के उत्पादन के लिये निर्देशित करती हैं।

6– सहकारी विपणन समिति का कार्य–व्यापार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण विशाल स्तर पर उपज की ढुलाई एवं क्षरण, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण और विधायन आदि विपणन सम्बन्धी सेवाओं की लागतें बहुत कम हो जाती हैं, तथा ये सेवायें उत्तम ढंग से सम्पन्न होती हैं।

7– सहकारी विपणन समितियाँ सदस्य कृषकों की उपज को एकत्रित करके उसे सुरक्षित गोदामों में रखती हैं तथा इस तरह कृषकों द्वारा असामयिक और प्रतिकूल परिस्थितियों में उपज बेचने से होने वाली हानि को रोकती हैं। सदस्य कृषकों को तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विपणन समिति इस संगठित उपज के आधार पर अधिक सरलतापूर्वक और ब्याज की नीची दर पर रुपया देती है।

समितियाँ कृषक सदस्यों को सहकारी प्रयत्न और सहकारी व्यापार करने की विधियों में महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करके, सहकारी विपणन समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन के प्रचार करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

बाजार–सूचनाएं :

वर्तमान में कृषक अपनी उपज का अधिकतम लाभकारी मूल्य पाने के लिये काफी सजग रहने लगा है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वह बाजार में प्रचलित मूल्यों एवं

सरकार द्वारा घोषित समर्थित मूल्यों के बारे में पूरी तरह से विज्ञ हो। सरकार ने कृषकों की सुविधा के लिये कई तरह के प्रयास किये हैं। नियन्त्रित मण्डी स्थलों पर प्रतिदिन के मूल्य ऐसे स्थान पर लिखे जाते हैं, जहाँ सभी उन्हें देख सकें। इसके अतिरिक्त दिन में कई बार रेडियो, एफ.एम. प्रसारण, अखबार और दूरदर्शन के माध्यम से कृषि पदार्थों के भाव प्रसारित किये जाते हैं। वर्तमान में कृषकों को आसानी से विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्य और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में समय–समय पर जानकारी प्राप्त होती रहती है।

आज मोबाईल फोन्स ने भी इस क्षेत्र में क्रान्ति लाई है। वैसे भी सूचना क्रान्ति का महत्व तब ही है, जब घर बैठा किसान अपने मोबाइल से कृषि से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर सके और उससे लाभान्वित हो सके, जो अभी तक दिखायी नहीं दे रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर न केवल कृषकों की दशा सुधार सकती है, बल्कि ग्रामीण आय में वृद्धि लाकर माँग और पूर्ति के बाजार तंत्र को गति प्रदान कर सकती है। ग्रामीण आय में वृद्धि ही औद्योगिक उत्पाद की खपत को बढ़ा सकता है, जो विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः स्थायी आर्थिक विकास के लिये कृषि में वृद्धि और स्थिरता दोनों ही प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा तभी सम्भव है, जबकि कृषकों को बाजार की सम्पूर्ण मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं में जानकारी हो। कृषि उत्पादों का अधिकतम मूल्य मिलने से कृषकों का आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा।[8]

कृषि आगतों और कृषि उत्पादन की कीमतों में परिवर्तन करके उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्त उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्था के हैं, जहाँ कृषि क्षेत्र, गैर–कृषि क्षेत्र की सहायता करता है। जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है या विकास हो जाता है, तब कृषि कीमत नीति में परिवर्तन आ जाता है। अब कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कृषि कीमत नीति का उद्देश्य नहीं रह जाता है। इस अवस्था में कृषि कीमत नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर लाना होता है।

कृषि–विपणन की बढ़ती भूमिका एवं कृषि मूल्य–नीति :

सामान्य परिस्थितियों में साधनों का आवंटन, किसी भी क्षेत्र, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र, विभिन्न उत्पादों का उत्पादन स्तर आगतों और निर्गतों की कीमतों द्वारा प्रभावित होता है। यदि अर्थव्यवस्था के किसी स्तर में उत्पादन में परिवर्तन करना हो, तो ऐसा कीमत–परिवर्तन के द्वारा ही किया जा सकता है। हम जानते हैं कि विकास की प्रारम्भिक अवस्था में कृषि का विकास खाद्यान्न की पूर्ति, कच्चे माल श्रम तथा पूंजी और औद्योगिक पदार्थों के बाजार के आकार में वृद्धि करता है।

तकनीकी गत्यात्मक तथा कम पूंजी गहन कृषि में, कृषि कीमत नीति द्वारा तीनों उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा विकासशील कृषि की विशेषताओं द्वारा सम्भव है। इस प्रकार की कृषि में आगतें औद्योगिक क्षेत्र से खरीदी जाती हैं। इन आगतों की सहायता से कृषि फसलों के उत्पादन फलन में विस्तार किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र अपना अतिरिक्त उत्पादन बेचने के लिए गैर–कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है अर्थात् दोनों क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता बढ़ जाती है। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की जब आय बढ़ जाती है, तो वे औद्योगिक क्षेत्र से वस्तुओं को खरीदते हैं, अतः दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ जाता है। भारत में बहुत से अध्ययनों ने यह बात सिद्ध की है कि कीमत में वृद्धि के साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है।[9]

बहुत–से देशों द्वारा विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए ऋणात्मक कीमत नीति को अपनाया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न और कच्चे माल की कीमत को कम रखना होता है, ताकि

औद्योगिक तथा तृतीय क्षेत्र का विकास तीव्रगति से हो तथा इस क्षेत्र की बचत का उपयोग द्वितीय व तृतीय क्षेत्र द्वारा किया जाए। जानबूझ कर व्यापार की पूर्ति कृषि क्षेत्र के प्रतिकूल की गई।

वास्तव में इन सिद्धांतों में से कोई भी सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। कई बार कीमतों का निर्धारण एक से अधिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृषि कीमत नीति का उद्देश्य किसानों को अच्छी कीमत दिलवाना तथा अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए धनात्मक कीमत नीति को अपनाना चाहिए। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार कृषि नीति न केवल कृषि उत्पादों तथा गैर–कृषि उत्पादों के बीच समता स्थापित करती है, बल्कि समूचे कृषि–क्षेत्र को अनुकूल कीमतें चुकाती है। कुछ अन्य के अनुसार कृषि–नीति का उद्देश्य व्यापार की शर्तों को कृषि क्षेत्र के अनुकूल करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति तब की जाती है, जब समता अनुपात सिद्धांत का प्रयोग कृषि–पदार्थों के मूल्य निर्धारण में किया जाता है।

स्पष्ट है कि कृषि–मूल्य में अधिक वृद्धि या गिरावट, दोनों ही हानिकारक हैं। अतः कृषि–मूल्य को एक सीमा में निर्धारित करना चाहिए, जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों के हितों की सुरक्षा करे। ये मूल्य ऐसे होने चाहिए, जिनसे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले, उपभोक्ता पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं क्रय कर सके तथा देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सके। यदि कृषि–मूल्यों में स्थायित्व रहता है, तो व्यापार चक्र नियन्त्रित रहते हैं, कृषकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, औद्योगिक प्रगति होती है, निर्यात में वृद्धि होती है और देश आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है।

: सन्दर्भ सूची :

1 भारत की कृषि नीति (2005–06)
2 उद्योग व्यापार पत्रिका (2007)
3 आर्थिक सर्वेक्षण, 2007, 2008
4 भारतीय अर्थव्यवस्था– मिश्र एवं पुरी
5 आर्थिक संवृद्धि एवं नियोजन– डा. बी.सी. सिन्हा, साहित्य भवन आगरा
6 इमरजिंग क्राइसिस इन इण्डियन एग्रीकल्चर– डा. जी.एस.भल्ला
7 भारत, 2008
8 आर्थिक सर्वेक्षण
9 पंजाब केसरी– दैनिक समाचार पत्र

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

बुद्ध–चरित की कथावस्तु : एक परिचयात्मक अध्ययन

डॉ0 महेश राम आर्य
प्रवक्ता– हिन्दी विभाग
महाराजा पृथ्वीराज चौहान (पी0जी0) कॉलेज,
सरकथल, टांडा (रामपुर) उ0प्र0

कथावस्तु प्रबन्धकाव्य का सर्वप्रमुख और अनिवार्य तत्व माना जाता है। पाश्चात्य विचारक अरस्तु ने तो कथावस्तु को साहित्य की आत्मा बताया है, और प्रबन्ध रचना में उसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा है।[1]

अरस्तु ने कथायोजना की सर्वप्रथम आवश्यकता उसके विन्यास को बताया है। उनकी मान्यता है कि रचना की कथावस्तु अपने आप में पूर्ण और संतुलित होनी चाहिए।[2]

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कथा की पूर्णता का प्रबन्ध रचना में विशेष महत्व है। उसमें आदि, मध्य और अन्त स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने चाहिए। समीक्ष्य रचनाओं में कथावस्तु का विन्यास करते समय कवियों ने इस तथ्य को भलीभांति ध्यान में रखा है।

समीक्ष्य काव्य की कथावस्तु का परिचयात्मक अध्ययन इस प्रकार प्रस्तुत है–

क. महाकाव्यों की कथावस्तु :

बुद्ध चरित्र पर आधारित आधुनिक हिन्दी काव्य में अनेक महाकाव्य रचे गए हैं। इन महाकाव्यों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा रचित 'बुद्ध चरित्र' अनूप शर्मा कृत 'सिद्धार्थ' रामानन्द शास्त्री कृत 'मृगदाव' प्रमुख हैं। इन महाकवियों की कथावस्तु इस प्रकार प्रस्तुत है–

1. सिद्धार्थ

(1937 ईसवी) सिद्धार्थ बुद्ध काव्य परम्परा का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना महाकवि पं. अनूप शर्मा ने की है इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण 'हिन्दी ग्रंथरत्नाकार कार्यालय', हीराबाग पोस्ट गिरगांव बबंई–4 से 1937 ईसवी में किया गया था। पं. अनूप शर्मा की इस महाकाव्य कृति में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है।

समीक्ष्य महाकाव्य की प्रेरणा अनूप शर्मा को महात्मा बुद्ध के पवित्र चरित्र से मिली थी। उन्होंने इस महापुरूष से संबंधित साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और स्वंय इस संबंध में साहित्य सृजन की और उन्मुख हुए। प्रस्तुत ग्रंथ की भूमिका में रचनाकार पं. अनूप शर्मा ने स्वंय इस तथ्य पर प्रकाश डाला है उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि– ''मैंने अपने कालेज–जीवन में कवि–श्रेष्ठ एडविन अर्नोल्डका 'लाइट ऑफ एशिया' नामक काव्य पढ़ा था। उसका प्रभाव मेरे विचारों पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया। तदनन्तर बड़े प्रयत्न के बाद महाकवि अश्वघोष का बुद्ध–चरित्र भी प्राप्त हुआ, जो अर्श्व था। सात–आठ वर्ष पहले मुझे पं. रामचन्द्र जी शुक्ल कृत बुद्ध–चरित्र, जो ब्रजभाषा में लिखा गया है, प्राप्त हुआ। उक्त तीनों ग्रंथों के

पठन–पठन का परिणाम आपके प्रस्तुत है।''[3] इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि अनूपशर्मा ने 'लाइट ऑफ एशिया' से प्रभावित होकर इस महाकाव्य की रचना की थी।

पं. अनूप शर्मा द्वारा रचित सिद्धार्थ ग्रंथ की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। सिद्धार्थ नामक ग्रंथ के रचनाकार पं. अनूप शर्मा को देव पुरूस्कार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। यह ग्रंथ देश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता रहा है। सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय में शिक्षण के लिए इसे पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत किया इसके अनन्तर प्रयाग विश्वविद्यालय ने एम.ए. की कक्षाओं के लिए और आगरा विश्वविद्यालय ने बी.ए. की कक्षाओं के लिए इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण अंशों का चयन किया। हिन्दी भाषा प्रदेशों में भी यह ग्रंथ पढ़ाया जाता रहा है, मद्रास विश्वविद्यालय के एम. ए. हिन्दी के पाठ्यक्रम में यह ग्रंथ लंबे समय तक पढ़ाया गया है इससे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ अपने प्रकाशन काल में बहुचर्चित और बहुप्रशंसित रहा है।

समीक्ष्य महाकाव्य की कथावस्तु अत्यंत विस्तृत है। इसमें अठारह सर्गों में कथानक को विभाजित किया गया है। प्रत्येक सर्ग की कथा वस्तु के अनुसार उस सर्ग का नामकरण हुआ है। इसकी कथा वस्तु सर्गो के अनुसार इस प्रकार प्रस्तुत है–

1. शुभस्वप्न

यह समीक्ष्य महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। इस सर्ग में पं. अनूपशर्मा ने सर्वप्रथम कविल वस्तु नगरी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इसी क्रम में नगर की भौतिक समृद्धि का भी चित्रण हुआ है। नगर वर्णन के उपरान्त कवि ने कपिल वस्तु के राजाओं का यशगान गाया है राजा शुद्धोदन के गुणों का वर्णन करने में कवि ने विशेष रूचि प्रदर्शित की है। इस संदर्भ में निम्नांकित पंक्तियाँ इस प्रकार दृष्टव्य हैं–

''गिरि हिमालय के उपकूल में
कपिल वस्तु पुरी अति रम्य थी,
बहु–प्रसिद्धिमयी धन अन्नदा
सुभग–शासन मूषित भूमि थी।
X X X X
विनय–युक्त उदार गंभीर थे,
अति सहिष्णु तथा अति धीर थे,
परम न्याय परायण वीर थे,
सतत–संयत भूपति शाक्य के।''[4]

कवि ने राजा शुद्धोदन के पराक्रम एवं प्रजावत्सल रूप का चित्रण करने के साथ–साथ उनके निःसंतान होने का भी चित्रण किया है। पुत्र की अभिलाषा से युक्त राजा शुद्धोदन अनेक प्रकार के व्रत उपवास करते है। उस समय पर्वत कंदराओं से बुद्ध के अवतार की दिव्य घोषणा सुनाई देती है। राजा और रानी रात्रि की समाप्ति पर शुभ स्वप्न देखते है वे ज्योतिषियों से स्वप्न का फल पूछते है। तब ज्योतिषी गण स्वप्न का फल बताते हुए राजा को पुत्र प्राप्ति संदेश देते है।

2. भाग्योदय

समीक्ष्य महाकाव्य का द्वितीय सर्ग भाग्योदय नाम से प्रकाशित किया गया है। इस सर्ग में महारानी माया की गर्भवस्था का वर्णन किया गया है। कवि ने अपनी कल्पना से उनकी सखियों के साथ उनका संवाद प्रस्तुत किया है। इस सर्ग में प्रभात वर्णन और बसंत वर्णन प्रस्तुत करते हुए भगवान बुद्ध के अवतार की घटना वर्णित है। बुद्ध के जन्म–उत्सव का वर्णन अत्यंत सरस है। कवि के अनुसार इस अवसर पर ज्योतिषी गण नवजात शिशु का जन्म चक्र रचकर उसके फल का वर्णन करते है। वे नवजात शिशु के नामकरण के लिए उसके जन्म मुहुर्त पर विचार करते है तथा उसकी प्रशंसा करते है।

3. उन्मेश

इस सर्ग में बुद्ध देव की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। कवि ने उनके बाल्यकाल की

विविध दशाओं का वर्णन करते हुए उनकी आठ वर्ष तक की बाललीलायें अंकित की है। यज्ञोपवतीत उत्सव गुरू ग्रह प्रवेश शस्त्र शिक्षण शास्त्रानुशीलन मृगया वर्णन आदि प्रस्तुत करते हुए अनूप शर्मा ने बुद्ध देव की लोकप्रियता को रेखांकित किया है। उन्होंने बुद्ध के व्यक्तिव में व्याप्त करूणा को भी महत्वपूर्ण बताया है उनके अनुसार बुद्ध मृगया के समय भी करूणा से प्रभावित रहते थे–

"रभस धावित देख कुरंग को,
अध–खिंचा धनु लेकर हाथ में,
तुरग रोक कभी कुछ सोचते,
हनन थे करते न वराकका।" [5]

इस सर्ग में कवि ने राजा के आदर्श का भी तश्य परक चित्रण किया है। यह चित्रण संस्कृत की रचनाओं में वर्णित आदर्श राजा के अनुरूप हैं–

"राजा के संग चाटुकार यदि हो,
तो कान ही फूँक दें,
ज्वाला हो यदि नेत्र में महिम की,
तो आँख जाती रहें,
सीमा–हीन सकाम हो हृदय तो क्या देर
है नाश में,
है साम्राज्य विनाश–हेतु उसका,
जो हीन कर्त्तव्य है।" [6]

प्रस्तुत सर्ग की कथा वस्तु तथ्यपरक है। उसमें वर्णित मान्यताएँ भारतीय परंपराओं के अनुरूप है कवि ने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप चित्रण करते हुए वर्णन को अधिक सरस और प्रभावपूर्ण बना दिया है।

4. अनुकम्पा

अनुकम्पा नामक चतुर्थ सर्ग में में कथानक प्रभात वर्णन से प्रारम्भ किया गया है। इसमें सिद्धार्थ शिकार के लिए प्रस्थान करते है। वे शिकार करने के स्थान पर आहात हंस का उद्धार करते है। इसी सर्ग में भ्रमण करते हुए वे कृषक की दीन दशा देखते है और द्रवित होते है। उनके मन में करूण भाव का उदय देखकर देवता उनकी प्रशंसा करते हैं।

5. अवरोध

अवरोध शीर्षक से रचित पांचवें सर्ग में कुमार के मनोभावों में करूणा का विस्तार देखकर राजा शुद्धोदन चिंतित हो जाते है। वे अपने मंत्री के परामर्श पर बसंतोत्सव की योजना बनाते है। इस उत्सव में सिद्धार्थ यशोधरा का दर्शन करते है और उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाते है। इस सर्ग में कवि ने प्रेमी और प्रेम की विशेष प्रशंसा की है। सर्ग की कथा वस्तु प्रेम के महत्व वर्णन से पूर्ण होती है।

6. संयोग

संयोग शीर्षक से रचित प्रस्तुत सर्ग में में यशोधरा के पिता सुप्रबुद्ध यशोधरा के विवाह की योजना बनाते है यशोधरा के स्वयंवर में वे शस्त्र–स्पर्धा का आयोजन करते है शस्त्र–स्पर्धा में सिद्धार्थ की विजय होती है, यशोधरा से उनका विवाह सपन्न होता है। कवि ने सिद्धार्थ की पूर्वजन्म की कथा का वर्णन करते हुए इस सर्ग को समाप्त किया है।

7. राग

सिद्धार्थ महाकाव्य का यह सर्ग सिद्धार्थ के व्यक्तिव में लौकिक आकर्षण की प्रस्तुति करता है। इसमें कवि ने नव विवाहित सिद्धार्थ और यशोधरा के प्रेम का चित्रण किया है। नव दंपति राज भवन के उपवन में बिहार करते है उनकी मनोहर जोड़ी सबको आनन्द प्रदान करती है। कवि श्री अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ के सुंदर मुख की प्रशंसा करती हुए कथा वस्तु पूर्ण की है।

8. अभिज्ञान

अभिज्ञान समीक्ष्य महाकाव्य का आंठवा सर्ग है। प्रकृति वर्णन से प्रारम्भ इस सर्ग में कवि ने श्रवण मास का चित्रण किया है। वर्षा का वर्णन करते हुए कवि ने इस सर्ग में प्रभावपूर्ण प्रकृति चित्रण अंकित किए है। वर्षा की एक दोपहर में जब सिद्धार्थ आलस्य युक्त हो जाते है तब देवगण संगीत के माध्यम से उन्हें आनदित करते है। इसी सर्ग में सिद्धार्थ नगर दर्शन की इच्छा प्रकट करते

है। कवि ने रात्रि का वर्णन करते हुए इस सर्ग की कथा का समापन्न किया है।

9. चिंतना

प्रस्तुत सर्ग में राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ की इच्छापूर्ण करने के लिए नगर को सजाने का आदेश प्रसारित करते हैं। सिद्धार्थ अपने सारथी छन्दक के साथ नगर दर्शन के लिए जाते है। नगर और ग्राम का वर्णन करते हुए कवि ने ग्राम्य जीवन का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है।

नगर भ्रमण करते हुए कुमार सिद्धार्थ एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति को देखते है। वे उसके विषय में छन्दक से चर्चा करते है और महल में वापस लौट आते है घर आने के बाद भी सिद्धार्थ के मन में काल की करालता का विचार बना रहता है और वे यशोधरा से सम्बन्ध में इस प्रकार वार्ता करते है–

"सकल–विस्तृत है कर कालका
ग्रहण से रवि भी बचता नहीं,
गगन से रवग, मनि पयोधिसे
वह यथा–रूचि संतत खींचता।
जलधि में तिरते जब शैल हैं,
मनुज भी मुनजाद विनाशते,
कपि कलाप बना जब विग्रही,
अहह! काल–कथा कहना प्रथा।[7]

इस प्रकार काल पुरूष की भयानकता को अंकित करते हुए कवि ने नवे सर्ग की कथा पूर्ण की है।

10. भावी

प्रस्तुत सर्ग में प्रकृति का पृष्ठांकन के रूप में चित्रण किया गया है सर्ग की कथा वस्तु शुक्ल पक्ष की रात्रि के वर्णन से प्रारम्भ होती है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि ने राजा शुद्धोदन के स्वप्न का चित्रण किया है। राजा शुद्धोदन स्वप्न में एक अपरिचित साधु को देखते है वह साधु उनसे स्वप्न फल की व्याख्या करता है। राजा शुद्धोदन स्वप्न फल की स्थिति समझकर चिंतित और सर्तक हो जाते है।

11. अभिनिवेदन

प्रस्तुत महाकाव्य में अभिनिवेदन नामक ग्यारहवें सर्ग की कथावस्तु सिद्धार्थ के ग्राम दर्शन पर केन्द्रीत है। प्रस्तुत सर्ग में राजकुमार सिद्धार्थ के पिता से पुनः ग्राम दर्शन की अनुमति प्राप्त करते है। वे रास्ते में वृद्ध और मृतक को देखकर छन्दक से उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते है। छन्दक के मुख से मनुष्य के जन्म और मरण की अनिवार्यता जानकर वे दुखी हो जाते है और गृह त्याग का निश्चय करते है। छन्दक कुमार की मनः स्थिति का वर्णन राजा शुद्धोदन के समक्ष कर देता है। इससे राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को अप्रत्यक्ष रूप से नजर बंद कर देते है।

12. महाभिनिष्क्रमण :

इस सर्ग के प्रारम्भ में कवि ने कुमार के रंग–गृह का वर्णन किया है। रात्रि वर्णन के साथ यशोधरा के सखी समूह का वर्णन करते हुए कवि ने यशोधरा का दुह दुःस्वप्न को अंकित किया है। सिद्धार्थ यशोधरा की दुःस्वप्न पर उसे सांत्वना देते है। यशोधरा सो जाती है और सिद्धार्थ पुनः गृह त्याग का निश्चय दोहराते है– वे कहते है–

"बदागोपा सोई सिसक कर दुः स्वप्न दुख से
पुनः सोते–सोते समय अब आया सुन पड़ा,
प्रिया के सोते ही विगत कर चिंता हृदय की,
लखे फूले तारे रजनिकर–संयुक्त नभ में।
निहारे तारे जो चमक कर मानों कह रहें
वमिस्ता है कोई जब सुख करों या दुख हरो।
बनो चाहे राजा सुख विभव से युक्त अथवा,
तपस्या के द्वार सकल जग का मंगल करो।[8]

प्रस्तुत सर्ग में सिद्धार्थ तारों को संबोधित करते हुए अपना संकल्प दोहराते है। वे अपने सारथी छन्दक और तुरंग के साथ गृह त्याग करते

है। इस अवसर पर राजा को दिया गया उनका संदेश अत्यंत मार्मिक है।

13. व्यथा

व्यथा शीर्षक से रचित इस सर्ग की कथा प्रभात वर्णन से प्रारम्भ होती है। इसमें प्रातः काल का चित्रण अत्यन्त करूण है। सिद्धार्थ का महल में न पाकर न केवल राज परिवार शोकाकुल होता है। बल्कि सारी प्रजा भी दुख से भर उठती है। यशोधरा का विलाप अत्यन्त करूणा पूर्ण है। शोक से व्याकुल वातावरण में प्रबुद्ध जन यशोधरा को धैर्य बंधाते है। सिद्धार्थ के जाने से उत्पन्न पीढ़ा के कारण सारा नगर शोक संतत है।

14. संबोध

प्रस्तुत सर्ग की कथावस्तु में कुमार सिद्धार्थ भिक्षु रूप में यात्रा करते है। वे दक्षिण बिहार की ओर जाते हैं और सेन ग्राम के निकट तपस्या करते है। इस सर्ग में उनकी धोर तपस्या का चित्रण करते हुए कवि ने सुजाता की कथा कहि है। इसी सर्ग में सिद्धार्थ बोधी वृक्ष की ओर जाते है बोधी वृक्ष की छाया में उन्हें न केवल ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की कथा भी याद आ जाती है। सिद्धार्थ द्वारा कामदेव पर विजय पाने की कथा का वर्णन भी कवि ने इसी सर्ग में किया है।

15. संदेश

प्रस्तुत रचना का यह सर्ग महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार पर केन्द्रित है। इस सर्ग में भगवान बुद्ध आत्म प्रेरणा से काशी के ऋषिपतन की और प्रस्थान करते है तथा मृगदाव में धर्म प्रचार करते है। इसी सर्ग में उनके द्वारा राजा बिम्बसार को उपदेश दिया जाता है। उनके उपदेशों में पशु बलि का निषेध मुख बिन्दु है।

16. यशोधरा

यशोधरा शीर्षक से रचित यह सर्ग विरहिणी यशोधरा की दीन–दशा पर केन्द्रित है। कवि ने यशोधरा का विरह वर्णन प्रस्तुत करते हुए वियोग श्रृंगार की प्रभावपूर्ण रेखाएं अंकित की है। विरह विधुरा यशोधरा कमल कलिका भ्रमर रोहिणी नदी आदि से अपनी विरह व्यथा कहती है। वह हंस के माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भी प्रेरित करती है। यशोधरा की सखियाँ उसके समक्ष बुद्ध के समाचार प्रस्तुत करती है।

17. दर्शन

इस सर्ग में राजा शुद्धोदन को बुद्ध के कपिलु–वस्तु में आने की सूचना मिलती है नगर के सेठ राजा से बुद्ध के आगमन का समाचार निवेदित करते है। इससे चारों ओर उत्साह छा जाता है। बुद्ध देव के आने पर राजा शुद्धोदन यशोधरा और प्रजा बुद्ध से भेट करते है।

18. निर्वाण

यह समीक्ष्य महाकाव्य का अंतिम सर्ग है। इसमें कवि ने भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन किया है। वे कपिल वस्तु नगरी से विदा लेकर 35 वर्ष तक विभिन्न दिशाओं में देशाटन करते है। उनके उपदेशों की धूम मच जाती है और उनका प्रभाव चारों और छा जाता है। अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए बुद्ध देव कुशीग्राम में पहुंचते है। यहाँ वे अंतिम उपदेश देते है और यही निर्वाण प्राप्त करते है। इसी के साथ समीक्ष्य महाकाव्य की कथावस्तु पूर्ण हो जाती है।

2. मृगदाव (वर्ष 1972)

मृगदाव महाकाव्य के रचियता **महाकवि रामानंद त्रिवेदी शास्त्री जी** है। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य कृति है। इसका कथानक भगवान बुद्ध के पवित्र चरित पर आधारित है। प्रस्तुत महाकाव्य **'विनोद पुस्तक मंदिर'**, रांगेय राघव मार्ग, आगरा उ.प्र. से प्रकाशित हुआ है। इसका प्रथम संस्करण सन् 1972 ईसवी में प्रकाश में आया।

मृगदाव का शीर्षक प्रतीकात्मक है। कविश्री रामानन्द शास्त्री ने वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित तपोवन को मृगदाव की संज्ञा दी है। मृगदाव महात्मा बुद्ध की प्रसिद्ध तपस्थली है। श्री रामानन्द शास्त्री ने स्पष्ट किया है। कि गौतम की

तपस्या के प्रभाव से मृगदाव का वातावरण पूरी तरह अंहिसक बन गया था और मृग वहां स्वतंत्र रूप से सुखपूर्वक विचरण करते थे।

'मृगदाव' महाकाव्य की कथावस्तु अत्यंत विस्तृत है। कवि ने **22 सर्गों** मे कथानक को प्रस्तुत किया है सर्ग के अनुसार इस महाकाव्य की कथावस्तु इस प्रकार प्रस्तुत है–

1. धर्मचक्र

धर्मचक्र शीर्षक से रचित प्रथम सर्ग में कवि ने राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म का चित्रण किया है। कवि ने सिद्धार्थ के पालन–पोषण का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है। कि उनकी माता माया का निधन होने के उपरांत पिता शुद्धोदन ने उनका पालन–पोषण अत्यंत स्नेह पूर्वक किया था। इस सर्ग की कथा के अनुसार एक दिन असित नामक तपस्वी सिद्धार्थ का हाथ देखकर उनके सन्यासी होने की भविष्यवाणी करते हैं असित द्वारा की गई भविष्यवाणी से दुखी होकर राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को परिवार में रोकने का उपाय जानना चाहते है राजा की व्याकूलता और जिज्ञासा देखकर संयासी असित उन्हें सिद्धार्थ के पूर्वजन्म की कथा सुनाते है।

2. गन्धकुटी

इस सर्ग में कवि **श्री रामानन्द त्रिवेदी शास्त्री** ने सिद्धार्थ के तपस्वी रूप का वर्णन किया है। अपने पिता के आदेश से राजकुमार सिद्धार्थ गन्धकुटी में निवास करते है सिद्धार्थ के मित्र और गुरूजन उनकी देख रेख करते है तथा उनकी सुख–सुविधाओं का ध्यान रखते है।

इस सर्ग में कवि ने सिद्धार्थ के मन में दया भाव की पुष्टि का चित्रण किया है। प्रकृति के संपर्क में रहने से सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं। वे दयालु हो जाते है और अपने कनथक नामक घोड़े पर दयाभाव दर्शाते हैं। इसी सर्ग में देवदत्त के बाण से आहत हंस की रक्षा का वर्णन भी किया गया है।

3. युवराज

इस सर्ग में राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता से वैराग्य के महत्व का वर्णन करते है। वे भारत की प्राकृतिक सुन्दरता का वर्णन करते हुए भारत दर्शन की इच्छा प्रकट करते है तथा लुम्बनी वन में जाने की आज्ञा मांगते है। सिद्धार्थ के प्रति वात्सल्य भाव से परिपूर्ण राजा शुद्धोदन उन्हें नगर दर्शन की अनुमति देते हैं।

"जो है तेरी अभिलाषा
उसको न रोक सकता हूँ,
तू कपिलवस्तु हो आना
तुझको न टोक सकता हूँ।
पर लौट शीघ्र ही आना
है क्योंकि श्रेय तू मेरा
क्षण भर में भी छोड़ न सकता
है क्योंकि प्रेय तू मेरा।[9]

सिद्धार्थ पिता की अनुमति से नगर में भ्रमण करने जाते है और संसार में व्याप्त दुखों से परिचित होकर मानसिक कष्ट पाते हैं।

4. निर्वेद

समीक्ष्य महाकाव्य के निर्वेद सर्ग में कवि ने सिद्धार्थ की मनोव्यथा का वर्णन किया है। राजकुमार सिद्धार्थ नगर में भ्रमण करते हुए दुखद दृश्य देखते हैं। यशोधरा के पूछने पर सिद्धार्थ संसार में व्याप्त दुखद स्थितियों पर इस प्रकार प्रकाश डालते है।

"तब तो नश्वर है संसार।
'हाँ, इसमें है क्लेश अपार।,
'यहाँ नहीं है सुख का लेश।,
'हाँ, जग में है केवल क्लेश।,
'होगा क्या तब लेकर राज्य।,
'यह भी है नश्वरों से व्यात्ज्य।,
जन थे उत्सव में संलग्न,
में विशाद में ही था मग्न।" [10]

तपस्वी असित के स्वप्न को सिद्ध करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ उसी दिन रात्रि में गृहत्याग करने का संकल्प करते है। घर और नगर छोड़ने के लिए भी अपने सारथी छन्दक को जगाते है यही

पर इस सर्ग की कथा पूर्ण होती है।

5. महाभिनिष्क्रमण

इस सर्ग में सिद्धार्थ छन्दक को अश्व लाने की आज्ञा देते है। वे छन्दक को साथ लेकर नगर से बाहर निकल जाते हैं। रात्रि में सिद्धार्थ के गृहत्याग करने का समाचार प्रभात होते ही कपिल वस्तु नगरी में फैल जाता है। इस समाचार को सुनकर न केवल राज परिवार बल्कि सारी प्रजा भी शोकाकुल हो उठती है।

6. प्रव्रज्या

प्रस्तुत सर्ग में सिद्धार्थ के 'अनोमा' नामक नदी पर पहुँचने का वर्णन है। इस नदी पर पहुँचकर वे अपने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण त्याग देते है। वे अपने वस्त्र और आभूषण एक बहेलिए को प्रदान करते है। साथ ही उसे आदेश भी देते है कि वह अपनी क्रूर अंजीविका का त्याग कर दे।

7. स्वप्न भंग

समीक्ष्य महाकाव्य के इस सर्ग में कपिल वस्तु नगरी की करूण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। सिद्धार्थ के गृहत्याग से सारी कपिल वस्तु नगरी दुखी है। राजपरिवार के दुख में प्रजा का दुख सम्मिलित है। कवि ने स्पष्ट किया है कि सांसारिक सुखों से मोह भंग होना ही स्वप्न भंग है।

"क्षेम करे तेरा हरि–हर वे महामना,
अस्तु, अब में बनाऊँ भविष्य की योजना।
त्याग देना चाहता हूँ सब आधि न्याधि में,
चाहता लगाना, अब वन में समाधि में।
अब दूर हटो हे राग–रंग।
मैं हूँ वन में अब तो असंग।
हो जो विलुप्त तृष्णा–तरंग,
है आज हुआ रे स्वप्न भंग।[11]

सिद्धार्थ के इस स्वप्न भंग में उनकी वरक्ती का भाव प्रबल है। यह स्वप्न भंग ही उनके बुद्धत्व का आधार भी है।

8. शाक्यमुनी

प्रस्तुत सर्ग में कवि ने सिद्धार्थ को शाक्य मुनी संज्ञा प्रदान की है। वे शाक्य वंश में उत्पन्न हुए है इसलिए उनकी शाक्य संज्ञा सार्थक है। प्रस्तुत सर्ग में तपस्वी सिद्धार्थ शाक्य मुनी बनकर वन में व्याप्त प्राकृति वैभव का दर्शन करते है। वे वृक्षों की महिमा का बखान करते है और प्रकृति से भिक्षा की याचना करते है–

"री प्रकृति! आया गेह तेरे
दे मुझे भिक्षा अये।
मैं हूँ अबोध नितान्त ही
तू दे मुझे शिक्षा अये।" [12]

इस सर्ग के अन्त में सिद्धार्थ की भेंट भारगव ऋषि से होती है और वे उनके साथ उनके आश्रम में चले जाते है।

निष्कर्ष

समीक्ष्य काव्य परम्परा में रचित रचनाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। कि बीसवी शताब्दी में कवियों ने महात्मा बुद्ध पर अनेक महत्वपूर्ण काव्य रचे है। ये काव्य कृतियां तीन काव्य रूपों में मिलती है–महाकाव्य, खण्डकाव्य, और फुटकर कविताएं। महाकाव्यों में 'प्राय' गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन को आधार बनाया गया है। खण्डकाव्यों में उनके जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना को अथवा अनेक घटनाओं को केन्द्र में रखकर कथा रची गई है। फुटकर कविताओं में कवियों ने कथ्य की प्रस्तुति समकालीन समस्याओं को ध्यान में रखकर की है।

समीक्ष्य काव्य परम्परा की रचनाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। कि अधिकतर कवियों ने कथानक की रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने और उनके महत्व को प्रकट करने के लिए की है। यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता से पहले रची गई रचनाओं में अधिक दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की रचनाओं का स्वर मुख्य रूप से युग जीवन पर केन्द्रित मिलता है और इसमें समकालीन समस्याओं की प्रस्तुति अधिक हुई है। कविताओं का कथ्य–जीवन के आधुनिक

और परिवर्तित दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। समग्रतः सभी रचनाएं किसी न किसी महत्वपूर्ण पक्ष पर केन्द्रित है। उनके कथानक सुगंठित है और लेखकीय उद्देश्य के अनुरूप है।

शोध संदर्भ

1. Aristotle : Poetics Page -16
2. Aristotle : Poetics Page -178
3. सिद्धार्थ (दो शब्द)–पृष्ठ 3
4. सिद्धार्थ–पृष्ठ 9
5. सिद्धार्थ–पृष्ठ 49
6. सिद्धार्थ–पृष्ठ 49–50
7. सिद्धार्थ–पृष्ठ 126
8. सिद्धार्थ–पृष्ठ 174
9. मृगदाव–पृष्ठ 35
10. मृगदाव–पृष्ठ 44
11. मृगदाव–पृष्ठ 86
12. मृगदाव–पृष्ठ 95

SUBSCRIPTION FORM

Samaj Vigyan Shodh Patrika is a Journal of Research in Social Sciences, Published **Half Yearly April & October** every year. The Editorial Address is **Dr. A.K. Rustagi,** Managing Editor, Samaj Vigyan Shodh Patrika, Aryawart Kesari Bhawan, Moradabadi Gate, Amroha-244221, U.P. (Amroha : Tel. 05922-262033, Mob. : 0941213933.

For Individuals

1. Name .....

2. Mailing Address .....

.....

.....

3. Telephone No. .....

4. E-mail ID, if any .....

.....

5. Student/ Researcher/ Teacher .....

6. Institutional affiliation .....

.....

7. **Subscription Rates**

For Teachers/ Professionals (For 5 Years)	**1200/-**
For Research Scholars/ Unemployed (For 2 Years)	**500/-**
Annual Membership	**300/-**
Single Copy Price	**150/-**

8. Subscription paid in Cash/ Draft/ Cheque
(If Cheque, add Rs. 50/- extra as bank collection charges).

Signature

For Institutions

1. **Name of the Institution .....**

.....

2. **Mailing Address .....**

.....

.....

3. **Telephone No. .....**

4. **E-mail ID, if any .....**

.....

5. **Subscription Rate**

For 5 Years **1500/-**

6. Subscription paid in Cash/ Draft/ Cheque
(If Cheque, add Rs. 30 extra as bank collection charges)

Signature and Seal

Note- All Cheques/ Drafts may kindly be drawn in favour of the the **'Samaj Vigyan Shodh Patrika, payable at Amroha. The Address of the Office is Dr. Ashok Kumar Rustagi,** Managing Editor, **Samaj Vigyan Shodh Patrika, Aryawart Kesari Bhawan, Near Moradabadi Gate, Amroha-244221, U.P.** Tel. No. 05922-262033, Mob. 09412139333.

E-mail : samajvigyanshodhpatrika@gmail.com

Dr. A. K. Rustagi
Managing Editor

Dr. Pawan Kumar Yadav
M.A., M.Phil., Ph.D.
Senior Lecturer, Department of Political
Science
S. M. College, Chandausi, Distt.-Sambhal, (U.P.)

डॉ0 हेमा राघव
(द्वारा– श्री हर्षवर्धन)
एम0ए0, पीएच0डी0
म0ज्यो0फुले0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

डॉ. देवेश कुमार
प्रवक्ता- राजनीति विज्ञान विभाग
डब्ल्यू. टी. एम. डिग्री कॉलेज, फत्तेपुर माफी, जिला- अमरोहा

पंकज कुमार
डी.एस.एम. डिग्री कॉलेज,
कांठ (मुरादाबाद)

श्रीमती राधिका
असिस्टेन्ट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान विभाग
ए.के.पी. डिग्री कॉलेज, खुर्जा (बुलन्दशहर)

Dr. Sanjay Sharma
Assistant Professor & Head
Deptt.of Political Science
Army Cadet College, IMA, Dehradun

Dr. Sanjay Sharma
Asst Prof, Political Science
Army Cadet College,
Indian Military Academy, Dehradun

डॉ० अंकुर अग्रवाल
असि0 प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ.प्र.

डॉ० निलेश जैन
एसो0 प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
वर्धमान (पी.जी.) कॉलेज, बिजनौर, उ0प्र0

डॉ० शिवाली चौहान
असि0 प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ0प्र0

डॉ० एन० पी० सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
साहू जैन कालेज, नजीबाबाद, उ0प्र0

डॉ० चन्द्रशेखर भारद्वाज
अध्यक्ष- इतिहास विभाग
सी.एस.एस.एस. (पीजी) कॉलिज, माछरा (मेरठ)

Dr. Kaptan Singh
Assistant professor, Department of English
Army Cadet College, Wing Indian Military
Academy, Dehradun 248001

डॉ० अशोक कुमार रुस्तगी
एसोशिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष- राजनीति विज्ञान विभाग
जे.एस. हिन्दू (पी.जी.) कालेज, अमरोहा

डॉ० बीना रुस्तगी
एसोशिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष- हिन्दी विभाग
जे.एस. हिन्दू (पी.जी.) कालेज, अमरोहा

Dr. Raj Kumar
Assistant Prof. (Economics)
Home No. 78, Kashiram Nagar
Moradabad (U.P.)

डॉ0 शशि सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा,
शिक्षाशास्त्र विभाग, गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद।

वीरेन्द्र सिंह, एम.फिल.
शोधार्थी- राजनीति विज्ञान
मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चित्तोड़गढ़ (राजस्थान)

डॉ. जय कुमार सरोहा
एसोशिएट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान विभाग
एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद (उ.प्र.)

डॉ0 नरेन्द्र पाल सिंह
एसो0 प्रोफेसर– वाणिज्य विभाग
साहू जैन कॉलेज
नजीबाबाद (बिजनौर) उ0प्र0

डॉ0 शिवाली चौहान,
असि0 प्रो0 एवं अध्यक्षा– वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय
नजीबाबाद (बिजनौर) उ0प्र0

डॉ0 अंकुर अग्रवाल
असि0 प्रोफेसर– वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय
नजीबाबाद, (बिजनौर) उ0प्र0–246763

डॉ0 निलेश कुमार जैन
एसो0 प्रोफेसर एवं अध्यक्ष– वाणिज्य विभाग
वर्धमान (पी0जी0) कॉलेज,
बिजनौर, उ0प्र0–246701

डॉ० जयकुमार सरोहा
एसोशिएट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान
शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद

डॉ0 चित्रा
ग्राम– गुरसौली
पो0– बहेड़ी, जि0–बरेली

डॉ0 अनिल कुमार
ब्लॉक कालोनी, दलपतपुर
पो0– अक्का डिलारी, जि0– मुरादाबाद

डॉ0 अनिल कुमार
ब्लॉक कालोनी, दलपतपुर
पो0– अक्का डिलारी, जि0– मुरादाबाद

Dr. Amit Chaturvedi
Regional Director,
Indira Gandhi National Open University
(IGNOU) Regional Centre, Bhopal,
Madhya Pradesh, India

Dr. Bhanu Pratap Singh
Assistant Regional Director,
Indira Gandhi National Open University
(IGNOU) Regional Centre, Noida, Uttar
Pradesh, India

Dr. S.R. Nayak
Assistant Regional Director, Indira Gandhi
National Open University (IGNOU)
Regional Centre, Bhopal, Madhya
Pradesh, India

डॉ0 दिनेश चन्द्र
पीएच0डी0– अर्थशास्त्र
अम्बेडकर नगर, पोस्ट– लॉकड़ी फाजलपुर,
मुरादाबाद–244001

डॉ0 महेश राम आर्य
प्रवक्ता– हिन्दी विभाग
महाराजा पृथ्वीराज चौहान (पी0जी0) कॉलेज, सरकथल,
टांडा (रामपुर) उ0प्र0